कोरोना वायरस से उत्पन्न परिस्थिति से निपटने के लिए

उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उठाये गये महत्वपूर्ण कदम

त्रिवेन्द्र सिंह रावत
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

- कोरोना महामारी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सम्पूर्ण उत्तराखण्ड को ``आपदा प्रभावित'' क्षेत्र घोषित किया गया।
- उत्तराखण्ड में कोरोना का नि:शुल्क ईलाज तथा राज्य में 4 कोरोना टेस्टिंग लैब चालू की गई।
- कोरोना वारियर्स के जीवन की क्षति होने पर ₹10 लाख की सम्मान राशि दिये जाने की व्यवस्था।
- प्रदेश के 11 जनपदों में आई.सी.यू. की स्थापना।
- बहु प्रतीक्षित टेलीमेडिसन सेवा व दून मेडिकल कॉलेज में ई–हॉस्पीटल सेवा प्रारम्भ।
- कोरोना के दृष्टिगत अभी तक लगभग 475 चिकित्सकों को दी गई नियुक्ति, 470 चिकित्सकों की होगी अतिरिक्त नियुक्ति।
- आयुष्मान भारत/अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना का लाभ प्रदेश के सभी राजकीय कार्मिकों एवं पेंशनर्स को स्टेट गवर्मेंट हेल्थ स्कीम के तहत नि:शुल्क चिकित्सा उपचार का प्रावधान।
- दून, श्रीनगर, हल्द्वानी तथा अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में मुख्य रूप से कोरोना का उपचार।
- राज्य में वर्तमान में कोविड के लिए कुल 236 आई.सी.यू. बैड, 120 वेंटीलेटर तथा 42 बाईपैप मशीनें स्थापित की गई।
- आगामी 4 माह में राज्य में आई.सी.यू. बैड्स की संख्या 525, वेंटीलेटर की संख्या 363 तथा बाईपैप मशीनों की संख्या 52 किये जाने की योजना।
- राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए कई अहम निर्णय लिये गये।
- प्रवासी उत्तराखण्ड भाई–बहनों को ट्रेन व बस से लाया जा रहा है नि:शुल्क तथा उससे संबंधित खर्च वहन कर रही है राज्य सरकार।
- मनरेगा के तहत लगभग 12500 से अधिक कार्य प्रारम्भ, 1 लाख 50 हजार से अधिक श्रमिकों को मिला रोजगार। लगभग 5000 उद्योगों को संचालन की अनुमति।
- निर्माण कार्यों की आवश्यकता को देखते हुए पुन: खनन शुरू।
- 1 लाख 98 हजार श्रमिकों को ₹2–2 हजार की सहायता राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गई हैं।
- मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से खुलेंगे रोजगार के द्वार तथा प्रदेश में लौटे प्रवासियों को घर में ही मिलेगा रोजगार। निर्माण में ₹25 लाख और सेवा क्षेत्र में ₹10 लाख तक का ऋण का प्रावधान, जिसमें ₹1.25 लाख से ₹6.25 लाख का होगा अनुदान।
- कोविड संक्रमण के चलते वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग तथा परित्यक्ता पेंशन प्रथम तिमाही किश्त जो जून में दी जानी थी, को माह अप्रैल में ही भुगतान किया गया। इसमें कुल पात्र 732687 को ₹ 26568.72 लाख (₹ 2 अरब 65 करोड़, 68 लाख 72 हजार) का भुगतान किया गया।
- बीज में मिलने वाली सब्सिडी के अलावा 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी कृषकों को दिये जाने का निर्णय।
- प्रदेश के लगभग 3 लाख 50 हजार किसानों द्वारा लिये गये ऋण के भुगतान हेतु 03 माह का समय बढ़ाया गया।
- एन.एफ.एस.ए. (अन्त्योदय अन्न योजना एवं प्राथमिक परिवार) तथा राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत 03 माह (अप्रैल, मई, जून 2020) के नियमित आवंटन का अग्रिम उठान कर उपभोक्ताओं को वितरण करवाया जा रहा है।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अन्तर्गत प्राथमिक परिवार एवं अन्त्योदय अन्न योजना के 61.94 लाख लाभार्थियों को 03 माह हेतु प्रति यूनिट 05 कि.ग्रा. चावल तथा 13.49 लाख राशन कार्डधारकों/परिवारों को 03 माह हेतु प्रति राशन कार्ड 01 कि.ग्रा. दाल नि:शुल्क वितरित की जा रही है।
- राज्य खाद्य योजना के अन्तर्गत अप्रैल, मई, जून 2020 हेतु मासिक 7.50 कि.ग्रा. खाद्यान्न के स्थान पर राज्य सरकार द्वारा मासिक 20 कि.ग्रा. खाद्यान्न (10 कि.ग्रा. गेहूं ₹8.60 प्रति कि.ग्रा. तथा 10 कि.ग्रा. चावल ₹11 प्रति कि.ग्रा. की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है।

उत्तराखण्ड सरकार आपकी है और आपके साथ है।

सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी